Gc·18
6/8/13

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

CIVIL WRIT JURISDICTION CASE

C.W.J.C .No--------------------of 2013

Arun Kumar@Aja--------------------------------------Petitioner

versus

The State of Bihar & Others -------------------------Respondents

Synopsis

The petitioner filed up an application form before the concerned respondents according to the advertisement for the post of Shiksha Mitra and the petitioner was selected and the appointment letter was given to the petitioner. But the then headmaster denied to accept the joining.

Annexure no-1.

15/07/2005 Letter no. - 2041 dt 28/02/2011 was issued **to** the petitioner for selection on the post of Shiksha Mitra .

Annexure no-2.

22/07/2005 The petitioner went to school with a letter of joining , the headmaster denied to accept the joining.

Annexure no-3.

26/07/2005 The petitioner wrote a letter to the Block Education Extention Officer in this matter.

Annexure no-4-The petitioner is a handicapped person and a certificate was given by District Medical . Officer.

Annexure no-5- The petitioner also approached to the C.M, Bihar for his grievance but no step was taken by the respondents.

Annexure no-6-The local news paper like Hindutan & Dainik & Annexure no-7.Jagran issued this point and drew attention of the Government stating the rule of **Education Mafia** in this Block.

Annexure-no-8. The petitioner ultimately avail the opportunity of R.T.I but it also a institution of teethless.

Annexure-no-9. The petitioner approached to District Education Employment Athority for his grievance, but his grievance was not redressed.

Hence this writ application.

N THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA
(Civil Writ Jurisdiction Case)
C.W.J.C No. --------- of 2013

Arun Kumar Ajanabi --Petitioner

Versus

The state of Bihar & others ------------------------------ Respondents

Sub : - Selection Matter (Panchayat Teacher).

INDEX

Sl.No	Particulars	Pages
1	An application with affidavit.	1-9
2.	Annexure -1 true photocopy of the order dt.- 17.05.05	10
3	Annexure -2 true photocopy of the joining letter.	11
4.	Annexure -3 true photocopy of the letter dt-26.07.05-	12
5.	Annexure -4 true photocopy of the Certificate	13
6	Annexure -5 true photocopy of the registration	14-15
7	Annexure--6 true photocopy of the cutting of Daily newspaper	16
8	Annexure -7true photocopy of the Cutting of paper Dainik Jagran	17
9	Annexure -8 true photocopy of the order dt.-17.08.11	18
10	Annexure—9 true photocopy of the order dt.-20.08.11	19-22
	Vakalatnama.	

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

Civil Writ Jurisdiction Case

C.W.J.C No----------------of 2013

In the matter of an application U/A 226 of the constitution of India.

And

In the matter of

Arun Kumar Ajnabi s/o Guru Prasad Das, resident of village - Thuda, P.O Parariya ,P.S –Bihariganj, Dist.- Madhapura-
--Petitioner

Versus

1. The State of Bihar through Principal Secretary Department of Human Resource, Govt. of Bihar, Patna.
2. The Commissioner, Saharsa
3. The District Teacher Employment Appellate Authority - Madhepura.
4. The Collector ,Madhepura
5. The District Education Officer ,Madhepura.
6. The Block Area Education Officer, Bihariganj, Madhepura
7. Headmaster Middle School –Belahi ,Panchayat Parariya ,P.S –Bihariganj, Dist.- Madhapura
8. Mukhiya –Parariya, Bihariganj, Madhepura.
9. Panchayat Secretary Prariya, Panchayat Bihariganj, Madhepura--------------------------------------Respondents

To,

The Hon'ble MS Justice Rekha M.Doshit ,the Chief Justice of the Patna High Court of Judicature at Patna & her companion Justices of the said Hon'ble High Court.

The humble petition on behalf of petitioner named above.

Most Respectfully Sheweth

1 That the petitioner seeks indulgence of this Hon'ble High Court by way an appropriate writ/writs, order/orders or direction / directions for the following reliefs:-

(i) To direct the respondents to appoint the petitioner on the post of Panchayat teacher whereas he was selected and appointment letter was given to him for joining on the post Shikha Mitra .

(ii) To direct the respondent to enquire the entire matter & act of the then Headmaster, Middle School Parariya whether the selection committee selected the petitioner on the post of Shikha Mitra.

(iii) To direct the respondent No - 5 to examine all the things very seriously about the act of the then Headmaster , Mukhiya and Panchayat Secretary who have committed wrong in making the merit list whether the petitioner applied for the post of Shikha Mitra in time and receiving receipt was given to the petitioner

(iv) To direct the respondent No-5 the District Education Officer Madhepura about the post which was reserved for the handicapped person could not be filled up till today.

(v) To grant any other relief/reliefs as to which the petitioner is found entitled in the facts and circumstance of the case.

2. That the petitioners is a citizen of India & resides within the Jurisdiction of this Hon'ble High Court.

3 That the fact of this case is that the petitioner according to the Advertisement applied for the post of Shikha Mitra in Parariya Panchayat in the year 2005 and after that the petitioner , in the General meeting selected for the post of Shikha Mitra and appointment letter was given to the petitioner to join in Middle school Parariya.

The then Headmaster Middle School Parariya refused to accept the joining of the petitioner on the post of Shikha Mitra .

Later on the petitioner met to the Block Education officer and Mukhiya and placed his grievance and the act of the then Headmaster.

The Block Education Officer became silent over the matter & no steps have been taken against the then Headmaster.

4 That the petitioner according to advertisement applied for the post of Shikha Mitra.

5 That the petitioner has been selected by the selection committee held on 15.07.2005 by the order of District Superintendent of Education Madhepura by letter No. 2121-2000 on the instruction of the Secretary Primary & Adult Education Department , Bihar by communication through fax by letter No.2041 dated 28.11.2002.

A true photocopy of the letter No.2120-2000 is annexed here with and marked as A-1 of the petition.

6 That after the selection of the petitioner on the post of Shikha Mitra , went to join in Middle School Parariya , the Headmaster refused to accept the joining .

A true photocopy of the joining letter is annexed here with and marked as A-2 of the petition.

7 That when joining of the petitioner was not taken by the Headmaster ,the petitioner wrote a letter to Block Area Education Officer on 26.07.2007

A true photocopy of the letter -26.07.2005 is annexed here with

and marked as A-3 of the petition.

8. That the petitioner wrote several letter to the respondents No-1 to 6 but no response was taken by the respondents.

9. That the petitioner is handicapped and a certificate was given by the District Health Officer.

A true photocopy of the certificate is annexed here with & marked as A-4 of the petition.

10. That the petitioner has also approached to the Janta Darbar of C.M & a registration number was issued to him & he has gone to the Janta Darbar and submitted the paper & application to the Chief Minister & assurance was given by the then HRD Minister but nothing has been done .

A true photocopy of the registration number is annexed here with and marked as A-5 of the petition.

11. That this matter was also published in Daily newspaper about the Education Mafia & details of the petitioner was given who is harassing by the respondents.

A true photocopy of the cutting of the Daily newspaper is annexed here with and marked as A-6 of the petition .

12. That prior to that in Dainik Jagaran dt.-12.02.2007 raised the grievance of the petitioner in his paper for harassing attitude of the respondent .

A true photocopy of the cutting of the paper is annexed herewith and marked as A-7 of the petition

13. That ultimately the petitioner avail the opportunity of RTI & for this he filled up the form of RTI & asked for the details. The District Programme Officer Madhepura by his letter No.96(B) dated 17.08.2011 call for the report from the Block Education Officer Bihariganj about the matter of the petitioner.

A true photocopy of the letter No.96(B) dt.- 17.08.2011 is annexed herewith and marked as A-8 of the petition

14. That when the petitioner become very much tired of the act of the respondents, approached to the District Education Employment Authority for his grievance. The Appellate Authority refused to entertain the appeal of the petitioner saying that appeal should be filed within 30 days & now it is time barred.

A true photocopy of the order dt.- 20.08.2011 is annexed herewith

and marked as A-9 of the petition

15. That the petitioners have not moved before this Hon'ble Court in this matter.

16. That petitioner have no other alternative or efficacious remedy except to move before this Hon'ble High Court .

It is therefore prayed that your Lordships may graciously be pleased to admit this writ application , issue RULE NISI calling upon the respondents to show cause as to why prayer made in this writ petition at Paragraph No. 1 be not allowed and after return of the RULE and the cause shown , if any and also after hearing the parties be further pleased to allow the prayer made in this writ petition at paragraph No . 1 in a favour of the petitioner and against the respondents.

And/or

Yours Lordships may graciously be further be pleased to pass any such other or further order/orders may deem fit and proper in facts and circumstance of the case.

And for this the petitioners shall ever pray.

AFFIDAVIT

I Arun Kumar Ajgaibi, aged about 30 years s/o Guru Prasad Das resident of village Thida----P.O Parariya, P.S. - Biharigang Dist .- Purnea , do hereby solemnly affirm and state as follows.

1. That I am the petitioner and I am well acquainted with the facts and circumstances of the case.

2. That the contents of the petition, have been read over and explained to me in Hindi which I have fully understood the same.

3 That statement made in paragraphs ---3, 4, --8------------------------------ are true to my knowledge and those statement made in paragraphs-- 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 are true to my information derived from the records of the case and rest are by way of submission to this Hon'ble Court.

4. That the annexures are photocopy of the respective originals.

CERTIFICATE

There is no registered Clerk attached with me or the person namely Lal Babu yadav Registration No. 676/ of 2013 who has identified the deponent is known to me and attached as a Registered Clerk with Sri Gajandeo yadav Advocate.

Advocate for petitioner

Dated:-

[illegible] शिक्षा विभाग [illegible] के
फैक्स संदेश क्रमांक - 3641 दिनांक - 28-11-02 द्वारा शिक्षा मित्र के अनुबंध हेतु निर्देश के आलोक में जिला शिक्षा अधीक्षक मधेपुरा के पत्रांक - 2120 2000 के आदेशानुसार दिनांक 15-7-05 के चयन समिति की बैठक में [illegible] निर्णयानुसार सिर्फ अत्यन्त पिछड़ा वर्ग [illegible] एक शिक्षा मित्र का अनुबंध कराई की चयन समिति द्वारा सर्वसम्मति से किया गया, जिसे कुल 11 (ग्यारह) माह के लिए मो० - 1500-00 (एक हजार पाँच सौ) रुपये प्रति माह की दर से नीचे अंकित विद्यालय में अनुबंध किया जाता है।

क्रमांक	शिक्षा मित्र का नाम	पिता/पति का नाम	पदस्थापित विद्यालय का नाम
(1)	श्री अरुण कुमार [illegible]	गुरु प्रसाद राय	[illegible]

उक्त शिक्षा मित्र शिक्षक को आदेश दिया जाता है कि दिनांक 22-7-05 तक वे अपने पदस्थापित विद्यालय में योगदान करें अन्यथा उनकी नियोजन (अनुबंध) अयोग्य समझा जायेगा।

ह०
पंचायत सचिव
ग्रा० पं० पड़रिया।

ह०
मुखिया
ग्रा० पं० पड़रिया।

ज्ञापांक 10 / दिनांक - 15-07-05

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी मधेपुरा / जिला शिक्षा अधीक्षक मधेपुरा / प्रखंड विकास पदाधिकारी [illegible] / प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी [illegible] / संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ [illegible]

MKMishra

पंचायत सचिव
ग्रा० पं० पड़रिया।

मुखिया
ग्रा० पं० पड़रिया।

Annexure 2

11

सेवा में, श्रीमान

श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय
म० वि० बेलाही पंचायत पड़रिया (बिहारीगंज)
विषय - योगदान देने के सम्बन्ध में।

महाशय,
सविनय निवेदन है की मैं अरूण कु० अजनवी पिता श्री गुरुप्रसाद दास ग्रा० - कुढ़ा, पो० - पड़रिया, थाना बिहारीगंज जिला - मधेपुरा दिनांक 15.07.05 के चयनसमिति के बैठक में अजनवी विद्यार्थी के शिक्षामित्र के रूप में मुझे अनुबंध पर चयन कर आपके विद्यालय में योगदान करने वास्ते नियोजन पत्र निर्गत की गई है। जिस आधार पर मैं आज दिनांक 22.07.05 को समय 10:30 बजे शिक्षा मित्र के रूप में अपना योगदान देने को तैयार हूँ।

अतः श्रीमान से निवेदन है की मेरा योगदान स्वीकार करने की कृपा की जाय

श्रीमान का विश्वासभाजन
अरूण कुमार अजनवी
पिता - श्री गुरुप्रसाद दास
ग्रा० - कुढ़ा
पो० - पड़रिया
थाना - बिहारीगंज
जिला - मधेपुरा

Annexure-3

(12)

सेवा में
श्रीमान प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी महोदय
बिहारीगंज

विषय - योगदान नहीं लेने की सम्बन्ध में

महाशय
सविनय निवेदन है कि मैं अपना योगदान उत्क्रमित मध्य विद्यालय बैलाही दिनांक 22.07.05 को 10:30 बजे अपनी सारे शैक्षणिक प्रमाण पत्र, नियोजन पत्र के साथ योगदान देने उत्क्रमित मध्य विद्यालय बैलाही पहुँचा परन्तु प्रधानाध्यापक महोदय बाहर चला गया एवं मेरा योगदान लेने से इनकार कर दिया।

अतः श्रीमान से निवेदन है की उत्क्रमित मध्य विद्यालय बैलाही में मेरा योगदान सुनिश्चित करवाने की कृपा की जाय।

श्रीमान का विश्वासभाजन
अरुण कुमार अजनबी
पिता - श्री कुलप्रसाद दास
ग्रा० - कुड़ा
पो० - पड़रिया
थाना - बिहारीगंज
जिला - मधेपुरा
दिनांक - 26.07.05

5-19.
21.4.[illegible]

Name : अरुण कुमार
नाम :

Father's Husband's Name : गुरु प्रसाद दास
पिता/पति का नाम :

Date of Birth : 20 वर्ष
जन्म तिथि :

Sex Male/Female : पुरुष
लिंग (पुरुष/स्त्री) :

Present Address : [illegible]
वर्तमान पता : [illegible]

Educational Qualification : [illegible]
शैक्षणिक योग्यता :

Monthly Family Income :
मासिक पारिवारिक आय :

Caste : SC / ST / BC / OBC / GEN / OTHERS
जाति [illegible] : अनु० जाति / अनु० जन जाति / पिछड़ा वर्ग / अन्य पिछड़ा वर्ग / सामान्य / अन्य

Occupation : [illegible]
व्यवसाय :

DISABILITY CERTIFICATE
विकलांगता प्रमाण-पत्र

Name :
नाम :

Nature of Disability : Residual cerebral Palsy
विकलांगता का प्रकार :

Disability Code : [illegible]
विकलांगता कोड :

Percentage of Disability : 50%
विकलांगता का प्रतिशत :

Identification Marks : 1.
पहचान चिन्ह : 2.

[illegible signature] 19.4.06

Signature of the Medical Officer with Seal
चिकित्सा अधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर

प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी
प्रा० स्वा० केन्द्र [illegible]

Signature
with D[illegible]
[illegible]

Annexure 5

14

मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार
4, देशरत्न मार्ग, पटना।

जनता के दरबार में मुख्य मंत्री

महोदय/महोदया,

आपके आवेदन का निबंधन संख्या 2104810167 है।

यह मात्र निबंधन संख्या है। आवेदन की मूलप्रति मिलने के बाद ही कार्रवाई आरंभ की जा सकेगी।

कृपया भविष्य में इस विषय पर पूछ-ताछ के लिए उक्त संदर्भ संख्या का उल्लेख करें। आवेदन के विषय में आप दूरभाष संख्या-0612-2201000 पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार, पटना।
वेबसाईट : **https://www.jkdmm.in**

बि०स०मु० (मुख्य मंत्री) 23—मो०नी०—25000—18-2-2008—आर० एस० एन० प्रसाद।

Annexure-6

(16)

५५५..

शिक्षा माफिया के धंधे पर लगेगी लगाम

मधेपुरा के जिलाधिकारी मिन्हाज आलम भी मधेपुरा में इंटर की परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या को देख हतप्रभ है। उन्होंने गुरूवार को यहां अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि निश्चित रूपेण शिक्षा माफिया द्वारा किये गये कमाल का परिणाम यहां परिलक्षित हो रहा है। लेकिन प्रशासन अब इस गोरख धंधे पर लगाम लगाने की कोशिश करेगी। जिला प्रशासन ने यहां इस वर्ष विशेष अभियान चलाकर फर्जी कारोबार के रैकेट का पर्दाफास भी किया है। करीब डेढ़ दर्जन फर्जी परीक्षार्थी को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। गिरफ्तार होने वालों में नेपाल के निवासी एवं सरगना भी शामिल रहे हैं।

महिला की हत्या का आरोपी न्यायालय से हुआ बरी

विधि. संवाददाता Annexure-6

मधेपुरा

महिला की हत्या मामले में पांच आरोपियों को मधेपुरा न्यायालय ने साक्ष्याभाव में निर्दोष करार देते हुए मामले से बरी कर दिया। 22 फरवरी 2005 को घैलाढ़ थाना क्षेत्र में एक विवाहित महिला की हत्या की गयी थी। इस बाबत मृतिका अनिता देवी के पिता तेज नारायण यादव ने घैलाढ़ थाने में हत्या का मामला दर्ज कराते हुए पांच लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया। त्वरित न्यायालय तृतीय मधेपुरा में चल रहे सत्रवाद संख्या 104/07 में मामले की अंतिम सुनवाई के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एके श्रीवास्तव ने पांच अभियुक्तों को साक्ष्याभाव में निर्दोष पाकर मामले से बरी कर दिया। मामले में बचाव पक्ष से अधिवक्ता सुचीन्द्र कुमार सिंह बहस कर रहे थे। जबकि अभियोजन पक्ष से एपीपी कृत ना. यादव ने बहस में हिस्सा लिया। **(विधि.सं.)**

शियों से हुई मारपीट

आलमनगर में 110 अभ्यर्थियों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया

आलमनगर (मधेपुरा)। आलमनगर प्रखंड में नामांकन के पहले एवं दूसरे दिन पंचायत के विभिन्न पदों के लिए 110 अभ्यर्थियो ने पर्चा दाखिल किया।

इस बावत जानकारी देते हुए निर्वाचन पदाधिकारी वरीय उपसमाहर्ता अपूर्व कुमार मधुकर ने कहा कि नामांकन के दूसरे दिन मुखिया पद के लिए 14,पंचायत समिति सदस्य पद के लिए 12,सरपंच पद 5,वार्ड सदस्य पद 34 एवं पंच पद के लिए 19 अभ्यर्थियो द्वारा अपना -अपना नामजदगी का पर्चा दाखिल किया गया। जबकी नामंकन के प्रथम दिन पंचायत के मुखिया पद के लिए 6,सरपंच1,पंचायत समिति सदस्य 5,वार्ड सदस्य 7, एवं पंच पद के 2 अभ्यर्थियो द्वारा नामजदगी का पर्चा दाखिल किया गया था। **(सं.सू.)**

दिन नामांकन पर्चा दाखिल किया। प्रखंड विकास पदाधिकारी सह सहायक निर्वाची पदाधिकारी दिलीप कुमार सिंह ने बताया कि विभिन्न पंचायतों से मुखिया पद के लिए 86 सरपंच के लिए 38, समिति सदस्य के लिए 105, वार्ड सदस्य के लिए 156 एवं पंच के लिए 112 प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल किया। नामांकन को लेकर कार्यालय परिसर में चहल पहल रही। (ए.प्र.)

मधेपुरा भागलपुर 11 मार्च 2011 हिन्दुस्तान

मिलेगा न्याय

मधेपुरा । जिला पदाधिकारी के जनता दरबार में फरियादियों की भीड़ उमड़ पड़ी। जिला पदाधिकारी ने फरियादियों को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। गुरूवार को आयोजित जनता दरबार में जिला पदाधिकारी मिन्हाज आलम ने सैकड़ों पीड़ितों से मिलकर उनकी फरियाद सूनी। गला रोग से पीड़ित विधवा सिया देवी ने डीएम को अपनी पीड़ा से अवगत कराया। सिया देवी ने कहा कि पैसे के अभाव में इलाज नहीं हो रहा है। डीएम ने सीएस को स्थानीय सर्जन से इलाज कराने का आदेश दिया। विकलांग युवक अरूण कुमार ने कहा कि पिछले दस वर्षो से वे लगातार जनता दरबार में आ रहे हैं। लेकिन जनता दरबार में अबतक सिर्फ आश्वासन मिलता रहा। वर्ष 2006 से 2008 तक के शिक्षक नियोजन में उन्होंने आवेदन दिया। लेकिन विकलांग कोटा के तहत आरक्षण का लाभ भी नहीं मिला। डीएम ने उन्हें आवेदन देने की सलाह देते हुए सहयोग करने का आश्वासन दिया। **(ए.प्र.)**

Annexure-7 (17)

Annexure 7

दैनिक जागरण 12.2.2007

न्याय के लिए दर-दर भटक रहा विकलांग अभ्यर्थी

बिहारीगंज (मधेपुरा) निप्र. : वर्ष 2005 में शिक्षामित्र के रूप में चयनित व नियुक्ति पत्र प्राप्त कर चुका एक विकलांग युवक, आज भी न्याय की तलाश में दर-दर की ठोकरें खा रहा है लेकिन उसे न्याय नहीं मिल पाया है।

बिहारीगंज प्रखंड के पड़रिया पंचायत निवासी गुरू प्रसाद दास के लड़के अरुण कुमार अजनबी, जो शारीरिक रूप से विकलांग है, का चयन वर्ष 2005 में बिहार सरकार के व्यस्त शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षामित्र के अनुबंध के आधार पर चयन किया गया था। श्री कुमार को चयन के बाद मध्य विद्यालय बेलाही में योगदान करने का निर्देश दिया गया लेकिन उक्त विद्यालय के प्रधानाध्यापक विमल पासवान ने उसका योगदान लेने से यह कहर इंकार कर दिया कि विद्यालय में जगह खाली नहीं है। इसके बाद

• चयन के बाद भी नहीं कर पाया योगदान

श्री कुमार पुनः मुखिया के पास जाकर इस बात की जानकारी दीं, तब मुखिया ने यह आश्वासन दिया कि उन्हें दूसरे विद्यालय में योगदान कराया जायेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अरुण का आरोप है कि चयन में उससे पैसे की मांग की गयी थी जिसे देने में वे सक्षम नहीं हुए, फलतः उसके स्थान पर किसी दूसरे का चयन कर लिया गया।

श्री कुमार ने जिला पदाधिकारी के जनता दरबार में जाकर गुहार लगायी लेकिन अब तक उसके समस्या का समाधान नहीं नहीं हो पाया है। अब वे मुख्यमंत्री के जनता दरबार में जाने का मन बना रहे हैं।

Annexure-8

(18)

प्रेषक :- जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) मधेपुरा।

सेवा में,
प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी,
बिहारीगंज।
मधेपुरा [illegible]

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम [illegible] के तहत प्रभारी पदाधिकारी [illegible] मधेपुरा के पत्रांक 95 दिनांक [illegible] पत्रांक 333 दिनांक 2-8-11 [illegible] प्रति [illegible] के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक जिला शिक्षा अधीक्षक मधेपुरा के पत्रांक 300 शि० दिनांक 18-2-11 के द्वारा श्री अवधेश कुमार [illegible] [illegible] द्वारा प्राप्त हुआ लो०-1 शिक्षा प्रखण्ड बिहारीगंज जिला- मधेपुरा के द्वारा प्राप्त हुआ है, [illegible] [illegible] [illegible] की गई [illegible] अप्राप्त है।
अतः निदेश दिया जाता है कि [illegible] की गई [illegible] पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर [illegible] [illegible] जाय। अन्यथा आप के विरुद्ध [illegible] [illegible] अधिकारी को [illegible] [illegible] दण्ड आप के वेतन से [illegible] किया जायेगा।

विश्वासभाजन

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
(स्थापना) मधेपुरा
13-8-11

ज्ञापांक 76 (शि०) मधेपुरा दिनांक 17/8/11

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी शिक्षा [illegible] मधेपुरा को सूचना के लिए प्रेषित।

17/8/11
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
(स्थापना) मधेपुरा
13-8-11

ज्ञापांक 76 (शि०) मधेपुरा दिनांक 17/8/11

प्रतिलिपि :- सूचना का अधिकार [illegible] [illegible] को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

[illegible] 17/8
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी

न्यायालय — Annexure-9 — (19)

जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार मधेपुरा

अपील वाद — 129/2011 अरुण कुमार अजनबी

[illegible]-7-11	अरुण कुमार अजनबी पिता गुरुप्रसाद दास ने शिक्षा मित्र नियोजन संबंधित ग्राम पंचायत पड़रिया के खिलाफ दायर किया गया है। शिक्षा मित्र का नियोजन वर्ष-2005 में हुआ है, और यह मामला वर्ष 2011 में दाखिल किया गया है। वादी दिनांक 20.08.11 को मुकदमा संबंधित संबंधित कागज प्रस्तुत करें। (हस्ताक्षर)
20.08.11	अभिलेख उपस्थापित किया गया। वादी द्वारा कुछ कागजात दाखिल किया गया है। जिससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि वादी ने अपने नियोजन से संबंधित आपत्ति समय सीमा के अन्तर्गत नहीं दाखिल किया था। माननीय उच्च न्यायालय के पटना द्वारा अनेक मामलों में यह स्पष्ट किया गया है कि शिक्षा मित्र नियोजन के खिलाफ मामला उचित समय के अन्दर ही अपील दाखिल किया जाना है। यह अपील पूर्णतः काल बाधित है एवं चलने योग्य नहीं है अतः इसे खारिज किया जाता है। (हस्ताक्षर)

सदस्य
जिला शिक्षक नियोजन
अपीलीय प्राधिकार, मधेपुरा.

जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार * मधेपुरा

GOVT. OF BIHAR
REGISTRATION, EXCISE & PROHIBITION DEPT.
MADHEPURA SCORE, MADHEPURA
COURT FEE
Authorization No. 2037
भारत STAMP DUTY 00000 Rs ≈00000010≈ -2.11.2012 374150 INDIA ··Zero·Zero·Zero·Zero·Zero·Zero·One·· बिहार JUDICIAL BIHAR

GOVT. OF BIHAR
REGISTRATION, EXCISE & PROHIBITION DEPT.
MADHEPURA SCORE, MADHEPURA
COURT FEE
Authorization No. 2037
भारत STAMP DUTY 00000 Rs ≈0000001≈ -2.11.2012 374150 INDIA ··Zero·Zero·Zero·Zero·Zero·Zero·One···· बिहार JUDICIAL BIHAR 7768 1529577

प्रमाणिकरण शुल्क
2-11-12
नकल लिपिक

COMPARED BY
2-11-12
Comparing Clerk

Cerrified to be a true
2-11-12
Head Clerk
U/S 76 Act 1of 1872

20

समक्ष में,

जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार

मधेपुरा

वाद संख्या 129/2011

अरुण कुमार अजनवी पि० गुरुप्रसाद दास, सा० - पड़रिया टोला - ढ़ठा डाकघर - पड़रिया थाना बिहारीगंज जिला मधेपुरा---- अपीलार्थी

बनाम

1. प्रधानाध्यापक म० वि० बेलाही पंचायत - पड़रिया पोस्ट थाना - बिहारीगंज जिला मधेपुरा

2. ग्राम पंचायत सचिव पड़रिया ,, ,, ,,

3. ग्राम पंचायत मुखिया पड़रिया ,, ,, ,,

4. प्र० शिक्षा प्रसार पदाधिकारी बिहारीगंज मधेपुरा

5. जिला शिक्षा अधीक्षक मधेपुरा

6. जिला पदाधिकारी मधेपुरा ---------- विपक्षीगण

दरखास्त तरफ से अपीलार्थी दाखिल कर सादर निवेदन निम्न प्रकार कर रहे है-

1- यह कि प्रार्थी निहायत गरीब, अति पिछड़ा वर्ग से आते है तथा विकलांग भी है।

2- यह कि प्रार्थी का चयन ग्राम पंचायत पड़रिया थाना - बिहारीगंज जिला मधेपुरा से चयन समिति द्वारा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत शिक्षा मित्र के रूप में दिनांक 15.7.05 को चयनित हुआ था।

3- यह कि चयनोपरांत प्रार्थी को ग्राम पंचायत के ज्ञापांक 10/15 .7.05 को के द्वारा पत्र दिया गया जिसमें दिनांक 22.7.05 तक में मध्य विद्यालय बेलाही पंचायत पड़रिया थाना- बिहारीगंज, जिला मधेपुरा में योगदान (अनुबन्ध के आधार पर) करने का निर्देश दिया गया।

4- यह कि प्रार्थी उक्त पत्र के आलोक में समबंधित मध्य विद्यालय में निर्धारित तिथि के अंदर तत्कालिक प्रधानाध्यापक से आवेदन लिखकर अपना योगदान नियोजन के रूप में लेने की प्रार्थना की परन्तु प्रधानाध्यापक प्रार्थी का योगदान नहीं लिया।

5. यह कि इस बाबत प्रार्थी प्रधानाध्यापक के विरुद्ध मौखिक वो लिखित आवेदन देकर प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी बिहारीगंज के पास शिकायत भी किये परन्तु उसके बाद भी कोई उचित प्रक्रिया प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदा० बिहारीगंज के द्वारा प्रार्थी के नियोजन हेतु नहीं अपनाया गया।

6- यह कि प्रार्थी अपने नियोजन वास्ते सम्बंधित शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में आवेदन दिये तत्पश्चात किसी के द्वारा प्रार्थी के नियोजन के वास्ते कोई पहल नहीं हो सका।

7- यह कि तब प्रार्थी मुख्यमंत्री के जनता दरबार में भी अपना आवेदन दिया जिसपर उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया परन्तु

3.

अभी तक इस आलोक में कोई कार्यवाही नहीं हो सका।

8- यह कि इसके पश्चात भी प्रार्थी जिला समाहरणालय मधेपुरा में जन शिकायत कोषांग में शिकायत किये वो बार- बार जनता दरबार में आते रहे जिस घटना का हिन्दुस्तान दैनिक समाचार पत्र में दिनांक 11.3.11 ई० को प्रकाशन हुआ।

9- यह कि प्रार्थी जिला लोक सूचना कोषांग मधेपुरा में सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगा जिसे लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा प्रार्थी को सम्बंधित पदा० से सूचना प्राप्त करने की बात कहा गया तत्पश्चात प्रार्थी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी बिहारीगंज से योगदान नहीं लेने के कारण जानना चाहा जिसका जबाब आज तक उक्त पदाधिकारी द्वारा नहीं दिया गया।

10- यह कि जब प्रार्थी को कोई रास्ता नजर नहीं आया तो श्रीमान् का न्यायालय में यह वाद लाना आवश्यक हो गया।

अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि उक्त लिखित तथ्यों के आलोक में वाद को स्वीकृत करते हुए विपक्षी को नोटिस करने की कृपा की जाय जो न्याय के हित में एवं प्रार्थी को सम्बंधित विद्यालय में नियोजित करने की कृपा की जाय।

अरुण कुमार [illegible]
प्रार्थी

Naval Sharma Adv
21.7.11
द्वारा
अधिवक्ता

Certified to be a true copy
Head Clerk
U/S 76 Act, 1of 1872

प्रमाणिकरण शुल्क
तुलन लिपिक

COMPARED BY
Comparing Clerk

BIHAR
COURT FEE
374150
INDIA
Authorisation No. 2037
BIHAR
JUDICIAL

15

* खुले में शौच की आदत मिटाएं :
  स्वास्थ्य, मर्यादा, सम्मान पाएं।

* घूस लेना और देना दोनों ही दण्डनीय अपराध है।

* एक साल तक के सभी बच्चों को टीके लगवाएं
  और उन्हें छह जानलेवा बीमारियों से बचाएं।

Annexure-4

(13)

5-19.
21.4.06

Name / नाम : अरुण कुमार

Fathers Husband's Name / पिता / पति का नाम : सुरत प्रसाद दास

Date of Birth / जन्म तिथि : 20 वर्ष

Sex Male/Female / लिंग (पुरुष/स्त्री) : पुरुष

Present Address / वर्तमान पता : ग्रा- कुढा- पो- फैजाबाद- पड़िया
जिला- मधेपुरा

5683

Signature/Thumb Impression of Person with Disability
विकलांग व्यक्ति का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान : अरुण कुमार

Countersigned (Seal)
प्रतिहस्ताक्षरित (मुहर)

जिला कल्याण पदाधिकारी
Signature of District Welfare Officer with seal

Educational Qualification / शैक्षणिक योग्यता : इन्टर

Monthly Family Income / मासिक पारिवारिक आय :

Caste / जाति : लोहार : SC / ST / BC, OBC GEN / OTHERS
अनु० जाति अनु० जन जाति पिछड़ा वर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग / सामान्य / अन्य

Occupation / पेशा : खेती

DETAILS OF CONCESSIONS PROVIDED
प्रदान की गई सुविधाओं का विवरण

S. No. क्रमांक	Date तिथि	Details of Benefits Provided प्रदान की गई सुविधाओं का विवरण	Signature of Officer with Seal पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर

DISABILITY CERTIFICATE
विकलांगता प्रमाण-पत्र

Name / नाम :

Nature of Disability / विकलांगता का प्रकार : Residual cerebral palsy

Disability Code / विकलांगता कोड : C

Percentage of Disability / विकलांगता का प्रतिशत : 50%

Identification Marks / पहचान चिह्न : 1.
2.

Signature of the Medical Officer with Seal
प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी
प्रा० स्वा० केन्द्र उदा०किशुनगंज

19.4.06